न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना,कोटपूतली–बहरोड़
पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
41847 / 2015(41 / 2013)	01.01.2015	04.12.2023

उनवान

1. बबली बेवा अशोक कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम सांरोडी तह0 नीमराना।

वदीया।

बनाम

1. राकेश पुत्र बहराम जाति अहीर निवासी ग्राम सारोडी तह0 नीमराना।

प्रतिवादी।

दावा हु0ई0दवामी
अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थितिः–

1. श्री रोहिताश कुमार एड0 वादीया की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीया ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. हाल 401 / 0.08 वाके ग्राम जोनायचा कलां तह0 नीमराना वादनी ने दिनांक 22.06.2009 को जरिये रजि0 विक्रयपत्र अर्चना स्त्री योगेन्द्र कुमार, सुमित्रा पत्नी कृष्णदत,योगेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णदत जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम जोनायचा कलां तह0 नीमराना से खरीद की थी वक्त खरीद से ही वादनी मौके पर काबिज काश्त है। बैयनामा के अनुसार वादनी के हक मे इंतकाल सं. 573 दर्ज व मंजूर हो कर अमल जमाबंदी मे हो चुका है। वादनी ने अपनी खरीदशुदा भूमि की हिफाजत के लिए करीब 05–05 फिट चारदिवारी की हुई है,पीने के पानी के लिए लघु सिंचाई के लिए बोरिंग निर्माण किया हुआ है व सिंगल फेस की मोटर लगाई हुई है। वादनी अपनी खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की इस भूमि पर अपने विक्रेतागणों के फूटस्टेप पर जस की तस मौके पर काबित रह कर उपयोग उपभोग कर रही है जिससे प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नही है। परन्तु प्रतिवादी दिल्ली पुलिस मे मुलाजिम है, जो मुझ विधवा नाजायज तौर पर परेशान करने की गर्ज से वादनी की कब्जे काश्त खातेदारी की इस आराजी पर नाजायज कब्जा करने की धमकी देता है व कोशिश मे है जिसने मुझ वादनी की कब्जे काश्त खातेदारी की इस आराजी के तरफ उत्तर मे हाल ही मे कुछ समय पूर्व कुछ जमीन खरीदी है। व नाजायज तौर पर अब कहते है कि आप का दिवार तोड कर मेरी जमीन पूरी करों इस कार्य के लिए प्रतिवादी ने दिनांक 06.04.2013 को मेरा कुछ उत्तर की दिशा का डण्डा भी तोड किया व मेरे इस खेत के अन्दर पशुओं के लिए टिनसेड बना रहे थे वह भी तोड दिया जिसके लिए मैने थाना शाहजहॉपुर मे प्रा0पत्र भी दिया हुआ है व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,अलवर के समक्ष भी प्रा0पत्र दिया हुआ है फिर भी प्रतिवादी नही मानता है व दिनांक 07.04.2013 को सरेआम मुझे धमकी दी है कि जो मर्जी आये वो करो मै चारदिवारी तोडकर कब्जा अवश्य प्राप्त करूगां इसलिए वादीया को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।
2. अन्त मे वादीया ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–

(क) डिक्री हु0ई0दवामी बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की सादर अता फरमाई जावे कि वादनी की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी ख.नं. 401 / 0.08 वाके ग्राम जोनायचा कलां तह0 नीमराना मे प्रतिवादी वादनी के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना,कोटपूतली–बहरोड़

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
41847 / 2015(41 / 2013)	01.01.2015	04.12.2023

उनवान

1. बबली बेवा अशोक कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम सांसेडी तह0 नीमराना।

वदीया।

बनाम

2. राकेश पुत्र बहराम जाति अहीर निवासी ग्राम सासेडी तह0 नीमराना।

प्रतिवादी।

दावा हु0ई0दवामी

अंतर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति:–

1. श्री रोहिताश कुमार एड0 वादीया की ओर से।
2. प्रतिवादी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक: 04.12.2023

–::पर्चा डिक्री::–

वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीग एकपक्षीय डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0दवामी से पाबंद किया जाता है कि वो वादीया की आराजी ख0नं0 हाल 401 / 0.08 वाके ग्राम जोनायचा कलां तह0 नीमराना से वादीया को जबरन बेदखल नही करे तथा ना ही वादीया द्वारा की हुई चारदिवारी,टिनसेड,बोरिंग आदि को ध्वस्त नही करे वादीया के उपभोग–उपयोग मे किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा नही करे बाज आवे। खर्चा वाद वादीया स्वयं वहन करेगी।

4.12.2023

पंकज बडगूजर (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)